बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०–पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 67,

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 29/05/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'' हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को कुल राशि रू० 8558.20 लाख (रू० पचासी करोड़ अंठावन लाख बीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'' के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना से दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार के छात्रों, जिनके अभिभावक का वार्षिक पारिवारिक आय रू0 3,00,000/– (रूपये तीन लाख) या रू0 3,00,000/– (रूपये तीन लाख) से कम हो, को प्रति छात्र रू0 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु कुल राशि रू० 8558.20 लाख (रू० पचासी करोड़ अंठावन लाख बीस हजार) मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

2–कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष 03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष 277–शिक्षा–उप शीर्ष 0101–शिक्षा–विषय शीर्ष 34–छात्रवृत्ति/वजीफा (0101–34–02 प्रोत्साहन) विपत्र कोड–11–2225–03–277–0101 के अधीन विकलनीय होगा।

3–उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प सं0–227, दिनांक–03.02.2026 द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक आय अधिसीमा रू० 1,50,000/– को वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रभाव बढ़ाकर रू० 3,00,000/– मात्र किये जाने की स्वीकृति दी गई है। विभागीय संकल्प संख्या–2565, दिनांक–21.12.2017 के आलोक में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है।

4–इस स्वीकृत राशि के विरूद्व आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या–2565, दिनांक–21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5–साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे कि निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ही मेधावृति योजना का लाभ दिया जाय।

6–यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना से दसवीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त उक्त कोटि के निर्धारित अहर्त्ता को पूर्ण करने वाले छात्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7–उक्त स्वीकृत राशि का व्यय–सर्वप्रथम वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के लाभार्थियों के लिए किया जायेगा, तदोपरांत योजनान्तर्गत लंबित राशि का भुगतान किया जायेगा।

8–पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र जो मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो चुके है, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त सूची के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आधार–संख्या एवं बैंक अकांउट की छायाप्रति एवं संबंधित छात्रों के अभिभावक का वार्षिक पारिवारिक आय रू0 3,00,000/– (रूपये तीन लाख) या रू0 3,00,000/– (रूपये तीन लाख) से कम हो, का आय प्रमाण–पत्र की आवश्यक

P.T.O

जाँचोपरान्त एवं उचित पहचान कर एकमुश्त राशि रू० 10,000/—(रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान शिक्षा विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी राशि की निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेगें एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना मद में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में) निर्धारित समय सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे।

9—इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या—2561 दिनांक—17.04.1998, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक—07.02.2014), 2011 के नियम—272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु " The list of Statement showing name of student,name and address of father, class roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills" एवं वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक—3808, दिनांक—02.06.2017 तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ही मेधावृति का लाभ दिया जाय।

10—प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11—प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/5/26

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— पि०व०/मु०मेधा०—40—07/2015— 67, पटना, दिनांक— 29/05/2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/5/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— पि०व०/मु०मेधा०—40—07/2015— 67, पटना, दिनांक— 29/05/2026

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/निदेशक/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— पि०व०/मु०मेधा०—40—07/2015— 67, पटना, दिनांक— 29/05/2026

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/ माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/5/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— पि०व०/मु०मेधा०—40—07/2015— 67, पटना, दिनांक— 29/05/2026

प्रतिलिपिः— बजट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव (योजना) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS 2.0 पर अपलोड करने हेतु एवं आइ०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/26

सरकार के अपर सचिव